न्यायालय–अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी	:	**प्रीति मुकेश परनामी,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	330 / 2025
सी.आई.एस. नम्बर	:	–
सी.एन.आर. नम्बर	:	**RJJM01-028102-2025**
एफ.आई.आर. नम्बर	:	307 / 2025
पुलिस थाना	:	सोड़ाला, जयपुर
अपराध धारा	:	धारा 64(2)(एम), 318(2), 319(2), 69, 351(3) भा.न्या.सं.

शिकायतकर्ता	परिवादिया / पीड़िता
अधिवक्ता परिवादी / पीड़िता	विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य एवं अधिवक्ता श्री अरुण कुमार कुमावत
अभियुक्त का नाम व विवरण	मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह पुत्र स्व. मोहम्मद नफीस, उम्र 34 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर सी–14, मीर जी की कॉलोनी, एम.आई.रोड़, पुलिस थाना जालूपुरा, जयपुर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री विजय सिंह शेखावत व श्री तेज प्रताप सिंह शेखावत
अपराध की तारीख	03.05.2024 व 08.08.2025 तक
एफ.आई.आर. की तारीख	15.08.2025
आरोप पत्र पेश करने की तारीख	27.10.2025
माननीय सेशन न्यायालय मे कमिटल तारीख	–
इस न्यायालय में प्रकरण कमिट करने की तारीख	10.11.2025
आरोप लगाने की तारीख	03.12.2025
साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ व समाप्ति की तारीख	18.12.2025 से 31.01.2026
दिनांक, जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	02.02.2026
निर्णय दिनांक	03.02.2026
सजा आदेश देने की	

दिनांक, यदि हो	

अभियुक्त का विवरण

अभि. की रैक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	चार्ज	सजा अथवा बरी	सेन्टेन्स इम्पोस्ड	दौराने विचारण भुगती गई सजा
1.	मोह. नईम उर्फ आशु सिंह	19.08.2025		धारा 64(2)(एम), 318(2),319(2) ,69, 351(3) भा.न्या.सं.			

अभियोजन साक्ष्य, बचाव पक्ष एवं न्यायालय के साक्षीगण की सूची

ए–अभियोजन साक्षीगण

रैंक / पी. डब्ल्यू क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकत्सकीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षीगण)
पी.डब्ल्यू–1	पीड़िता	पीड़िता

बी–बचाव साक्षीगण

रैंक / डी.डब्ल्यू क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकत्सकीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

सी–न्यायालय साक्षीगण

रैंक / सी. डब्ल्यू क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकत्सकीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन पक्ष, बचाव–पक्ष व न्यायालय के प्रदर्शों की सूचीअ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	पी–1	पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान
2.	पी–2	टाईपशुदा रिपोर्ट
3.	पी–3	चाक एफ.आई.आर.
4.	पी–4 से पी–6	पीड़िता को दिये गये नोटिस
5.	पी–7, पी–8	नक्शा मौका घटनास्थल
6.	पी–9	इंस्टाग्राम चैट के प्रिंटआउट
7.	पी–10	प्रमाण–पत्र धारा 63 बी.एस.ए.
8.	पी–11 से पी–16	फोटोग्राफ्स
9.	पी–17	मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता
10.	पी–18	पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान
11.	पी–19	सम्मन
12.	पी–20	आदेशिका न्यायालय

बी. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

सी. न्यायालय

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

डी. मेटेरियल ऑब्जेक्ट

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

:: निर्णय :: **दिनांक : 03 फरवरी, 2026**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **निपूण सक्सैना बनाम भारत संघ (2019) SCC 703** में प्रतिपादित न्यायिक मत एवं धारा 228A भारतीय दण्ड

संहिता के प्रावधानों की अनुपालना हेतु उक्त मामले में अभियोक्त्री को निर्णय में ''पीड़िता'' के रूप में अंकित किया जायेगा।

2. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 14.08.2025 को पीड़िता पी. डब्ल्यू–1 की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना सोड़ाला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत टाईपशुदा प्रदर्श पी–2 के आधार पर पुलिस थाना सोड़ाला, जयपुर पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 307/2025 अपराध अंतर्गत धारा 64(1), 318(4), 316(2), 308(2), 351(2), 319(2) भारतीय न्याय संहिता में बाद अनुसंधान दिनांक 27.10.2025 को आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह के विरुद्ध धारा 64(1), 64(2)(एम), 308(2), 318(4), 319(2), 69, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–09, जयपुर महानगर–प्रथम में प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर हुआ है।

3. पीड़िता की ओर से प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के आधार पर उक्त प्रकरण के सारतः/संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 12.04.2024 को यशवंत वशिष्ट द्वारा पीड़िता की इंस्टाग्राम आई.डी. आशु को बतायी एवं राजपूत बनकर बात करने के लिए कहा, जिसके द्वारा जरिये इंस्टाग्राम आई. डी. Ashusikar द्वारा 5–6 बार मैसेज करने पर उनकी बातचीत इंस्टाग्राम पर हुई, पीड़िता द्वारा पूछने पर उसने अपना नाम आशु सिंह राजपूत, गांव गोकुलपुर सीकर के पास, माताजी कां गांव अजमेर, पिता का नाम समर्थ सिंह बताकर उनको पुलिस में एडिशनल एस.पी.होना, बड़े भाई का नाम हमेन्द्र सिंह शेखावत इत्यादि बताकर अपने आप को बैचलर होना व शादी के लिए लड़की ढूंढना बताया। तत्पश्चात् दिनांक 04.05.2024 को कैफे मैंगोलिया में उनकी बातचीत हुई, दिनांक 11.05.2024 को पीड़िता की बड़ी बहिन से मिलकर पीड़िता के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, दिनांक 06.06.2024 को उसके परिवार से मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखा, पीड़िता को बतायी गई बात ही उसके परिवार को बताने पर उसके पिता द्वारा 501/–रुपये सगुन के रूप में मोहम्मद नईम उर्फ आशु को दिये, दिनांक 07.06.2024 को इंडिगो हेरिटेज होटल में बुलाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दबाव बनाकर शारीरिक संबंध स्थापित किये, पीड़िता के मनाली

शिफ्ट होने पर वहां भी शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये एवं नौकरी छुड़वाकर पीड़िता को जयपुर ले आया फिर उसका रवैया पीड़िता के प्रति रूखा एवं उसे इग्नोर करने वाला हो गया, शक होने पर पीड़िता द्वारा पता करवाने पर उसका नाम मोहम्द नईम उर्फ आसिम उर्फ आशु होने की जानकारी होने पर पीड़िता को विश्वास में लेना तथा पीड़िता से झूठ बोलकर 17 हजार रुपये ऐंठे गये तथा मोहम्मद नईम उर्फ आसिम उर्फ आशु को किसी मामले में गिरफ्तार करने पर पीड़िता का नईम उर्फ आशु के भाई राशिद खान से सम्पर्क होने पर यह अवगत करवाया कि आशु उर्फ मो. नईम द्वारा उससे शुरु से ही समस्त बातें झूठ बोली गई, उसके माता–पिता व भाई राजपूत नहीं है। उसकी जमानत होने पर पीड़िता से बनीपार्क स्थित मान अपार्टमेंट में मिलने पर पीड़िता द्वारा शादी की बात कहने पर आपस में कहासुनी हुई तथा कुछ समय बाद पीड़िता को जानकारी हुई कि मोहम्मद नईम उर्फ आसिफ उर्फ आशु द्वारा अपने व अपने परिवार की झूठी कहानिया सुनाकर हिन्दू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किये है तथा उसकी शादी हो चुकी है, जिससे इसने तलाक ले लिया है, इत्यादि।

4. उक्त प्रकरण में अनुसंधानोपरांत प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह के विरुद्ध धारा 64(2)(एम), 318(2), 319(2), 69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर उक्त आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को प्रमाणित कराने के लिए पूर्वोक्त वर्णित मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पेश की गई।

6. पीड़िता की ओर से दिनांक 31.01.2026 को लोक अदालत की भावना से अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह से धारा 318(2), 319(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में राजीनामा पेश किया, जो पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह को धारा 318(2), 319(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया तथा धारा 64(2)(एम), 69 भारतीय न्याय संहिता

के अपराध का विचारण शेष रहा।

7. प्रकरण में राजीनामा होने एवं महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता के पक्षद्रोही घोषित होने से अभियोजन साक्ष्य पूर्ण समझी जाकर अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधान से परीक्षित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करने का अभिवाक् किया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

8. उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु उद्भूत होता है :–

"क्या अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह ने सुसंगत अवधि में, सुसंगत समय व स्थान पर पीड़िता के साथ विवाह का आश्वासन देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध व सहमति के बिना जबरन एक से अधिक बार अयुक्त संभोग कर बलात्संग किया ?"

9. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

10. दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क रहे कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। स्वयं पीड़िता पूर्णतया पक्षद्रोही हुई है, जिसने अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

12. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

13. उक्त अवधार्य बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो उक्त प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता है, जो न्यायालय में पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुई है, ने अपनी सशपथ साक्ष्य में 2024 में उसकी इंस्टाग्राम आई.डी. पर मो. नईम उर्फ आशु सिंह से उसकी इंस्टाग्राम आई.डी. पर मुलाकात होना, फिर दोनों की फोन पर बात होना व दोस्त बनना, उनका आपस में अपनी इच्छा से मिलते–जुलते रहना, आशु सिंह द्वारा उसे कभी भी शादी व धर्म परिवर्तन का धोखा देकर उसके साथ संबंध नहीं बनाया जाना बताया है।

14. अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किए जाने से उक्त गवाह पक्षद्रोही हुई, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज करवायी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3, पुलिस द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–4 व पी–5, उसका जवाब प्रदर्श पी–6, नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 व पी–8, उसके द्वारा पेश इंस्टाग्राम चैट प्रदर्श पी–9, धारा 63(4)सी का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–10, फोटोग्राफ प्रदर्श पी–11 लगायत पी–16, उसका मेडिकल प्रदर्श पी–17, उसके धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान प्रदर्श पी–18, सम्मन प्रदर्श पी–19, न्यायालय आदेशिका प्रदर्श पी–20 पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हुए न्यायालय के समक्ष उक्त फर्दों को प्रमाणित करवाया है तथा उसके पुलिस में बयान होना, उसके धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग, जिसमें घटना से संबंधित महत्वपूर्ण वृतांत अंकित है, पुलिस को गलतफहमी व आवेश में आकर दिया जाना, उन दोनों के बीच जो भी संबंध बने, वह आपसी सहमति से बनना बताते हुए अभियुक्त द्वारा उसे धर्म परिवर्तन कर शादी कर लेने का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने के तथ्य से इन्कार किया है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त पीड़िता पी. डब्ल्यू–1 ने न्यायालय के समक्ष धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान गलतफहमी व आवेश में आकर दिव्या सिंह के कहने से दिया जाना बताया है।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता पी. डब्ल्यू–1 ही घटना के संबंध में तात्विक प्रकृति की साक्ष्य नहीं देती है तथा पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने से स्पष्ट इन्कार करते हुए अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान प्रदर्श पी–1 में अंकित घटना से संबंधित महत्वपूर्ण वृतांत एवं अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान गलतफहमी व आवेश में आकर दिया जाना बताया है तथा अभियुक्त व उसकी दोस्ती होना और आपस में अपनी इच्छा से मिलते–जुलते रहना तथा उनके बीच जो भी संबंध बने, वह आपसी सहमति से बनना बताया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियोजन कहानी का समर्थन होता हो।

16. उपरोक्त परिस्थितियों में पूर्वोक्त वर्णित साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह द्वारा पीड़िता के साथ विवाह का आश्वासन देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध व सहमति के बिना जबरन बलात्संग करने का तथ्य प्रकट नहीं होने से अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह को धारा 64(2)(एम), 69 भारतीय न्याय संहिता के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

17. परिणामतः अभियुक्त मोहम्मद नईम उर्फ आशु सिंह पुत्र स्व. मोहम्मद नफीस, उम्र 34 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर सी–14, मीर जी की कॉलोनी, एम. आई.रोड़, पुलिस थाना जालूपुरा, जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(एम), 69 भारतीय न्याय संहिता के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 318(2), 319(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

19. अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के

अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

20. प्रकरण में अपील/रिवीजन होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अन्यथा अपील/रिजीवन की अवधि के अवसान के छः माह के उपरांत प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल, पीड़िता से संबंधित समस्त फोटो एवं वीड़ियो (यदि कोई हो) स्थाई रूप से डिलीट करने के पश्चात्, नियमानुसार संबंधित स्वामी को लौटाये जावे।

21. पीड़िता के विरुद्ध कोई अपराध कारित होना प्रमाणित नहीं हुआ है, इस कारण उसे पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना न्यायोचित नहीं है।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

22. निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम